

20/6/18 पत्रावली राजद्वारा लोक अदालत में प्रेषित की गई
 राजद्वारा में प्रेषित हुई। वकील प्रार्थी
 द्वारा पत्रावली का दायरपत्र तैयार कर
 दिया गया। प्रार्थी पत्र से सम्बंधित
 मूल वाद की पत्रावली तब तक की गई।
 प्रार्थी का यह कहना सही है कि
 प्रार्थी के कलेक्टर श्री कौशल तिवारी
 का दिनांक 30.4.18 को विद्यमान हो गया
 इस कारण से वे दिनांक 6/5/18 को
 कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे। अतः
 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाधिकार के
 स्वीकार किया जाय। मूल वाद को
 पुनः नवंबर पर लिये जाने का
 निर्देश दिया जाता है। पत्रावली के
 मुकाम हेतु नवंबर में कम से कम दाखिल
 करवाये।

उपखण्ड अधिकारी
 रामगढ़ रोखावाटी (सीकर)
 लोक अदालत / दिनांक 20/6/18
 ग्राम पंचायत - राजगढ़